



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर- 452001

क्रमांक-प्रशा/2022/660

दिनांक 28/07/2022

// आदेश //

सर्व संबंधितों को आदेशित किया जाता है, कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ-3-4/2010/1/4 भोपाल दिनांक 10 जून 2022 के अनुसार मंत्रालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मार्च 2022 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के राकथाम एवं बचाव के संबंध में प्रदेश के संपूर्ण शासकीय कार्यालयों में कार्य दिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किया जाकर कार्यालय का समय प्रातः 10.00 से शाम 6.00 बजे किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

उक्त निर्देशों के पालनार्थ प्रायः यह देखने में आ रहा है कि विश्वविद्यालय के अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, एवं समय के पूर्व कार्यालय से चले जाते हैं। अतः समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण अनिवार्यतः कार्यालयीन समय पर उपस्थित हों, एवं कार्यालय समय समाप्त होने तक कार्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।


आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक/प्रशा/2022/660
प्रतिलिपि:-

दिनांक 28/07/2022

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख समस्त अध्ययनशालाएं एवं संस्थानों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. समस्त, अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. कुलपति के सचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेक्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशासन)